

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :-अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थीगण

शेरसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह खींची जाति
राजपुत, निवासी जीवंदकला, तहसील
रानी, जिला पाली

1. मुकनाराम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल, निवासी
जीवंदकला, तहसील रानी, जिला पाली
2. श्रीमति चम्पादेवी पत्नी मुकनाराम, जाति मेघवाल,
निवासी जीवंदकला, तहसील रानी जिला पाली
3. सरपंच ग्राम पंचायत जीवंदकला,
पंचायत समिति रानी, जिला पाली

किस्म मुकदमा :: पंचायत निगरानी स.- 61/2018

(आरसीएमएस नम्बर 2018/00370)

धारा 97 राज.पंचायती राज अधिनियम 1994

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.07.2018	<p>प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत जीवन्दकला द्वारा मिसल संख्या 21 दिनांक 01.04.1996 प्रस्ताव संख्या ... दिनांक 17.08.1996 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी मुकनाराम पुत्र चिमनाराम मेघवाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 17.08.1996 के विरुद्ध में पेश की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.07.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	
19/7/18	<p>बकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थित नहीं देने का विषय लिख. है। पेशी इस्ताफा होकर पत्रावली दिनांक 12/8/2018 को पेश हो।</p>	
13/8/2018	<p>वकील प्रार्थी द्वारा वकील प्रार्थी ने प्रकरण को Not Press किया है। अतः निगरानी चलने योग्य नहीं होने से शक्ति खो जाती है। पत्रावली फेरवत में शुमार लेकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>Not press Holey (13/8/2018)</p>